



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jda@jodhpur.org वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F.37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/3482.

दिनांक:- 04/08/2022

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 06/2022 की बैठक दिनांक 21.07.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2022 बैठक दिनांक 12.05.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जोन-उत्तर

एजेण्डा संख्या 02 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-----------------|--|----------------------|-------------|---------------|----------|
| 21.07.2022 | उत्तर | देसूरिया विश्नोईयान् | 74/12 | 01.11.10 बीघा | औद्योगिक |
| आवेदक | श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री प्रकाशचन्द गोयल | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम देसूरिया विश्नोईयान् के खसरा संख्या 74/12 रकबा 01.11.10 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को खसरा संख्या 71 (गै.मु नहर), 72 (गै.मु पाल) व 73 (गै.मु नहर) से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जो कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। अतः सिंचाई विभाग से नहर की चौड़ाई तथा नहर के पश्चात् सर्विस रोड की चौड़ाई बाबत रिपोर्ट प्राप्त किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 2. बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 09.12.2021 में अनुमोदित खसरा संख्या 74/12, 74/14 के ले-आउट प्लान में प्रश्नगत प्रकरण के निर्णय उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 03 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-----------------|--|--------------|-------------|------------------------------------|--------------------|
| 21.07.2022 | उत्तर | नेतडा | 372/3 | 08.04.10 बीघा में से 06.04.00 बीघा | होटल (पर्यटन ईकाई) |
| आवेदक | श्री भंवरलाल, श्री छोटाराम पुत्र श्री आसुराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नेतडा के खसरा संख्या 372/3 रकबा 08.04.10 बीघा में से 06.04.00 बीघा में होटल (पर्यटन ईकाई) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे तथा तत्पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। | | | | |

2. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार में निर्माण है। अतः सड़क मार्गाधिकार में निर्माण हटाये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविधि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन हटाये जाने की सुनिश्चितता हेतु कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त की जावे।
5. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 04 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| 21.07.2022 | उत्तर | भवाद | 686 / 4, 687 / 1 | 20.00.00 बीघा में से 01.17.13 बीघा | फार्म हाउस |
| आवेदक | मैसर्स मेवाडा फायर वर्क्स प्रो. श्री दिनेश मेवाडा पुत्र श्री गोरधनलाल मेवाडा, श्री जोगाराम पुत्र श्री कालूराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम भवाद के खसरा संख्या 686/4, 687/1 रकबा 20.00.00 बीघा में से 01.17.13 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित राजस्व मार्ग को 80 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार हेतु 80 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की स्थिति व क्षमता बाबत टिप्पणी प्राप्त की जावे। 3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र | | | | |

मार्गाधिकार
18(25)
बैक
पूर्व

| |
|---|
| लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। |
| 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 05 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 21.07.2022 | उत्तर | नेतडा | 384, 384/1 | 02.00.00 बीघा | पेट्रोल पम्प |
| आवेदक | श्री गोपाराम विश्नोई पुत्र श्री जेठाराम विश्नोई, श्री सुनिल विश्नोई पुत्र श्री गोपाराम विश्नोई | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नेतडा के खसरा संख्या 384, 384/1 रकबा 02.00.00 बीघा में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर-नागौर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावे। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम-2020 अनुसार सडक मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावे एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावे। 3. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 06 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|------------|
| 21.07.2022 | उत्तर | उजलिया | 199/69 | 06.00.00 बीघा | फार्म हाउस |
| आवेदक | श्री हनुमानराम पुत्र श्री बाबुराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 199/69 रकबा 06.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 64 में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट सडक मार्गाधिकार की | | | | |

| |
|---|
| सुनिश्चितता की जाएं। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं। |
| 2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जाएं एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जाएं। |
| 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। |
| 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं। |
| 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 07 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 21.07.2022 | उत्तर | मण्डोर-प्रथम | 2010/583 | 01.05.00 बीघा | पेट्रोल पम्प |
| आवेदक | श्रीमती मनीषा पत्नी श्री राकेश गहलोत | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 2010/583 रकबा 01.05.00 बीघा में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर-नागौर सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जाएं। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं। 2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जाएं एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जाएं। 3. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाएं। 4. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जाएं। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जाएं अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाएं। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 08 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|------------------------------------|------------|
| 21.07.2022 | उत्तर | विनायकपुरा | 775/759 | 09.12.00 बीघा में से 06.00.00 बीघा | फार्म हाउस |
| आवेदक | श्री मोहनराम पुत्र श्री भालुराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम विनायकपुरा के खसरा संख्या 775/759 रकबा 09.12.00 बीघा में से 06.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में जोन उपायुक्त के प्रस्ताव अनुसार पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र में खसरा संख्या 769/759 के स्थान पर खसरा संख्या 775/759 का संशोधन करते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी। | | | | |

①

जोन-दक्षिण

एजेण्डा संख्या 01 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | भाण्डूखर्द | 169/1 | 22.02.00 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | PRADHA PAPERS LLP जरिये श्री अर्पित लीला पुत्र श्री वासुदेव लीला | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम भाण्डूखर्द के खसरा संख्या 169/1 रकबा 22.02.00 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 100 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 2 है० से अधिक होने के कारण नियमानुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जावे। 3. आवेदक द्वारा आवेदित भूमि पर manufacturing and processing of papers and boards का कार्य किया जाना प्रस्तावित है जिसके कम में संबंधित विभाग से उक्त उपयोग मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries की श्रेणी में आता है अथवा नही के संबंध में अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 02 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|------------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | सालावास | 1022/110 | 1339.00 वर्गमीटर | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्रीमती रामुदेवी पत्नी श्री मिश्रीलाल | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 1022/110 रकबा 1339.00 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण व पूर्व दिशा में स्थित सड़कों का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावे। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में गूगल मानचित्र अनुसार निर्माण होने के कारण उपरोक्तानुसार निर्धारित 60 फीट सड़क को आवेदित भूमि में से प्रस्तावित करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। उपरोक्त सड़कों के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग | | | | |

राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों को 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से प्रस्तावित प्रयोजन के संबंध में टिप्पणी प्राप्त करते हुए एवम् उक्त प्रयोजन Non-Obnoxious Industries है अथवा नहीं के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए तथा प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए व पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 03 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | सालावास | पुराना 131/8 नया 131/12 | 376 वर्गमीटर | वाणिज्यिक (दुकान) एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री मयंक चौधरी जरिये आम-मुख्यार श्री लाला उर्फ श्री लालाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या पुराना 131/8 नया 131/12 रकबा 376 वर्गमीटर में वाणिज्यिक (दुकान) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- | | | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक को 60 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 60 फीट रखते हुए सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. प्रकरण में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए खातेदार के पक्ष में जोन स्तर पर संशोधित 90/क आदेश जारी किया जावे। 3. आवेदक द्वारा जमाबंदी से कम क्षेत्रफल का मानचित्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त के संबंध में आवेदक से जोन स्तर पर शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय | | | | |

में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 04 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|---------------------|--|------------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | सालावास | 110, 1035 / 1025 | 5524 वर्गमीटर में से 1481.62 वर्गमीटर | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री राकेश पटीर पुत्र श्री सीताराम पटीर | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 110, 1035 / 1025 रकबा 5524 वर्गमीटर में से 1481.62 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 फीट रखते हुए आवेदित भूमि में से उक्त सड़क के भाग का अंकन किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावे। उपरोक्त सड़क के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार को 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की स्थिति व क्षमता बाबत टिप्पणी प्राप्त की जावे। 3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से प्रस्तावित प्रयोजन के संबंध में टिप्पणी प्राप्त करते हुए एवम् उक्त प्रयोजन Non-Obnoxious Industries है अथवा नहीं के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए तथा प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए व पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 05 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|---------------------|------------------|---|
| 21.07.2022 | दक्षिण | कांकाणी | 358 / 1, 359 / 1 | 05.13.00 वीघा | औद्योगिक (Non Polluting Handicraft Industry) एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्रीमती शान्तिदेवी लोहिया पत्नी श्री रामदास | | | | |

| | |
|----------|--|
| विषय:- | राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 358/1, 359/1 रकबा 05.13.00 बीघा में औद्योगिक (Non Polluting Handicraft Industry) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:- 01. प्रकरण में आवेदित भूमि का पूर्व में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी होने तथा मूल आवेदक श्रीमती शान्तिदेवी लोहिया का देहान्त हो जाने के कारण नये वारिसान के नाम से भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदक को सूचित किया जावे। 02. जोन स्तर पर नियमानुसार 90/क आदेश को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावे। |

एजेण्डा संख्या 06 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | भाकरासनी | 146/3 | 05.00.00 बीघा | कृषि आधारित उद्योग |
| आवेदक | श्रीमती शोभादेवी पत्नी श्री बद्रीराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 146/3 रकबा 05.00.00 बीघा में कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:- 01. आवेदित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पहुँच मार्ग किस प्रकार उपलब्ध होगा, के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे। 02. आवेदित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा सुपरईम्पोजिशन की पुनः जांच जोन स्तर पर की जावे। 03. आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना से उपलब्ध होना प्रतीत होता है। साथ ही मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के आस-पास मिश्रित व आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित है। अतः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.09.2020 को जारी आदेश के क्रम में आवासीय योजना से लगते हुए कृषि आधारित उद्योग की स्थापना के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 07 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | तनावडा | 33/82 | 00.13.12 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्रीमती राजश्री थानवी पत्नी श्री प्रदीप थानवी | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 33/82 रकबा 00.13.12 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में विद्यमान मुख्य सडक से आवेदित भूमि तक रिकॉर्डेड/समर्पित रास्ते के संबंध में जोन उपायुक्त से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 08 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 465/02 | 06.10.00 बीघा | आवासीय योजना |

एजेण्डा
बैठक
दिनांक
21.07.2022
आवेदक
विषय:-

| | |
|----------|---|
| आवेदक | श्री भीयाराम पुत्र श्री मंगाराम, श्रीमती चिडीदेवी पत्नी स्व. श्री वीजाराम, श्री धनाराम पुत्र श्री भंवराराम, श्री दयाराम पुत्र स्व. श्री वीजाराम, श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री भंवराराम, श्री लूणाराम पुत्र स्व. श्री कानाराम, श्रीमती मीमादेवी पत्नी श्री भंवराराम, सीमा व खुशबु पुत्री स्व. श्री मुनाराम जरिये कुदरती वली माता शान्तिदेवी, श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी स्व. श्री मुन्नाराम, श्री सोहनराम व श्री श्रवणराम पुत्र स्व. श्री मुन्नाराम |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 465/02 रकबा 06.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान प्रयोजनार्थ अनुमोदन वाबत्। |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 100 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि का अधिकांश भाग आवासीय व आंशिक भाग मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ आरक्षित होने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्रफल/भू-उपयोग पर आवासीय योजना अनुज्ञेय की जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 09 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 470/21 | 01.17.05 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्रीमती पुष्पा चुंगलानी पत्नी श्री रमेश चुंगलानी | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 470/21 रकबा 01.17.05 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :- 01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावे। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जावे। 02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावे। 03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावे। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 10 :-

| वैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 467/12 | 00.19.16 वीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री सोनाराम पुत्र श्री नारायणराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 467/12 रकबा 00.19.16 वीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :- 01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावें। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने वावत् प्रार्थी को सूचित किया जावें। 02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावें। 03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावें। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 11 :-

| वैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|----------------|------------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 468/5, 470/14 | 02.12.06 वीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री अनिल गोलेच्छा पुत्र श्री ओमप्रकाश, श्री संदीप गोलेच्छा पुत्र श्री ओमप्रकाश | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 468/5, 470/14 रकबा 02.12.06 वीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :- 01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावें। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने वावत् प्रार्थी को सूचित किया जावें। 02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावें। 03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावें। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 12 :-

| वैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 470/19 | 01.03.19 वीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री अनिल बोथरा पुत्र श्री नानकदास बोथरा | | | | |

| | |
|----------|---|
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 470/19 रकबा 01.03.19 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :- 01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावें। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जावें। 02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावें। 03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावें। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |

एजेण्डा संख्या 13 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 467/15 | 00.19.12 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री रणछोडराम पुत्र श्री हनुमानराम, श्री बुधराम पुत्र श्री गोपाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 467/15 रकबा 00.19.12 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :- 01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावें। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जावें। 02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावें। 03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावें। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 14 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 467/13 | 00.19.10 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री दयाराम पुत्र श्री नारायणराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 467/13 रकबा 00.19.10 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :- 01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावें। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जावें। | | | | |

| |
|--|
| <p>02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावे।</p> <p>03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावे।</p> <p>उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p> |
|--|

एजेण्डा संख्या 15 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 467/4 | 01.00.11 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री कल्पित बोथरा पुत्र श्री जसराज बोथरा | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 467/4 रकबा 01.00.11 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-</p> <p>01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावे। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जावे।</p> <p>02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावे।</p> <p>03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावे।</p> <p>उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p> | | | | |

एजेण्डा संख्या 16 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 470/18 | 01.01.16 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्रीमती मंजू सालेचा पत्नी श्री पदम सालेचा | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 470/18 रकबा 01.01.16 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-</p> <p>01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावे। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जावे।</p> <p>02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावे।</p> | | | | |

एजेण्डा र
बैठक
दिनांक
21.07.2022
आवेदक
विषय:-

03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावे। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 17 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 470/26 | 01.00.19 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्रीमती दौलत कंवर पत्नी श्री पारसमल | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 470/26 रकबा 01.00.19 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-</p> <p>01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावे। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने बाबत प्रार्थी को सूचित किया जावे।</p> <p>02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावे।</p> <p>03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावे। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p> | | | | |

एजेण्डा संख्या 18 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 467/6 | 02.04.13 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | सनसिटी होल्डिंग एण्ड ट्रेडिंग लि. जरिये पार्टनर श्री राजीव भण्डारी पुत्र श्री जतन रूपचंद भण्डारी | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 467/6 रकबा 02.04.13 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-</p> <p>01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावे। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने बाबत प्रार्थी को सूचित किया जावे।</p> <p>02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावे।</p> <p>03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावे। उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p> | | | | |

एजेण्डा संख्या 19 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | धिनाणा की ढाणी | 467/11 | 00.19.05 बीघा | औद्योगिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री ओमाराम पुत्र श्री नारायणराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 467/11 रकबा 00.19.05 बीघा में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. आवेदित भूमि तक न्यूनतम आवश्यक 60 फीट सडक समर्पित की जावें। साथ ही 60 फीट सडक हेतु मौके पर हुए निर्माण को हटाये जाने बाबत प्रार्थी को सूचित किया जावें। 02. मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय होने के कारण एन.जी.टी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स अनुसार टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता एवम् पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) के संबंध में संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त की जावें। 03. औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में अनुज्ञेय Non-Obnoxious Industries में टेक्सटाईल उद्योग के अनुज्ञेयता के संबंध में विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की जावें। <p>उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p> | | | | |

एजेण्डा संख्या 20 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|---|------------------|---|
| 21.07.2022 | दक्षिण | भाण्डूकलां | 580/141 व 583/495 (पुराना खसरा संख्या 141, 495/142) | 11.06.19 बीघा | औद्योगिक (Non Polluting Handicraft Industry) एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री रूचिर पारख पुत्र श्री रमेश पारख | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम भाण्डूकलां के खसरा संख्या 580/141 व 583/495 (पुराना खसरा संख्या 141, 495/142) रकबा 11.06.19 बीघा में औद्योगिक (Non Polluting Handicraft Industry) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने सडक मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित 60 फीट सडक तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावें। उपरोक्त सडक के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों को 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का तरमीम मानचित्र व जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि के नवीन खसरा संख्या 580/141 व 583/495 है। 3. कार्यालय मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार कॉरपोरेट पार्क में औद्योगिक (Non-Polluting Handicraft Industries) अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

81

4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non Polluting Handicraft Industry अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से प्रस्तावित प्रयोजन के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए व पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non Polluting Handicraft Industry का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 21 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|---|-------------------|--|
| 21.07.2022 | दक्षिण | भाण्डूकलां | 579/141 व 582/495 (पुराना खसरा संख्या 141, 495/142) | 12.12. 06 बीघा | औद्योगिक (Non Polluting Handicraft Industry) एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री रुचिर पारख पुत्र श्री रमेश पारख | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम भाण्डूकलां के खसरा संख्या 579/141 व 582/495 (पुराना खसरा संख्या 141, 495/142) रकबा 12.12.06 बीघा में औद्योगिक (Non Polluting Handicraft Industry) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावे। उपरोक्त सडक के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों को 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि का तरमीम मानचित्र व जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि के नवीन खसरा संख्या 579/141 व 582/495 है। 3. कार्यालय मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार कॉरपोरेट पार्क में औद्योगिक (Non-Polluting Handicraft Industries) अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया गया। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non Polluting Handicraft Industry अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से प्रस्तावित प्रयोजन के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए व पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non Polluting Handicraft Industry का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। | | | | |

| | |
|----|---|
| 5. | राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। |
| 6. | उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। |
| 7. | प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |

एजेण्डा संख्या 22 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|---------------------|---------------|---|
| 21.07.2022 | दक्षिण | भाण्डूकलां | 494 / 142, 143, 144 | 07.15.08 बीघा | औद्योगिक (Non Polluting Handicraft Industry) एकल भूखण्ड |
| आवेदक | अनेक कंवर पुत्री श्री प्रेमराम वगैरहा | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम भाण्डूकलां के खसरा संख्या 494 / 142, 143, 144 रकबा 07.15.08 बीघा में औद्योगिक (Non Polluting Handicraft Industry) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावे। उपरोक्त सडक के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार को 60 फीट रखते हुए प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 2. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावे। 3. कार्यालय मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार कॉरपोरेट पार्क में औद्योगिक (Non-Polluting Handicraft Industries) अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया गया। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार केवल Non Polluting Handicraft Industry अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से प्रस्तावित प्रयोजन के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए व पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non Polluting Handicraft Industry का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। | | | | |

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 23 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | पाल | 285/1 | 02.05.08 बीघा में से 01.02.08 बीघा | पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री किशन पुत्र श्री राधाकिशन | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 285/1 रकबा 02.05.08 बीघा में से 01.02.08 बीघा में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मुख्य जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखा जावे। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावे एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि के सामने गुजर रही एच.टी लाईन की क्षमता व स्थिति बाबत टिप्पणी प्राप्त कर नियमानुसार सेप्टी-कोरीडोर का प्रावधान किया जावे। 3. आवेदक से पेट्रोल पम्प हेतु पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा जारी एलओआई व मानचित्र की प्रति प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे। 5. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावे। 6. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे। 7. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 24 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | कुडी भगतासनी | 322 | 05.06.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री अचलसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह, श्री जगतसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह, राजेश्वरी डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री महावीर सिंह खींची | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 322 रकबा 05.06.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। | | | | |

निर्णय:-

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार व समर्पित मार्ग से आवेदित भूमि को उपलब्ध 40 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित जोजरी नदी की सीमा का सुपरईम्पोजिशन कर नदी की सीमा से 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी तथा तत्पश्चात् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर सडक का प्रावधान किया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 25 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | कुडी भगतासनी | 316, 317, 319/1, 332 | 28.09.00 बीघा में से 01.00.00 बीघा | आवासीय एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री प्रवीण खत्री पुत्र डॉ एम.एल खत्री | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 316, 317, 319/1, 332 रकबा 28.09.00 बीघा में से 01.00.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के सामने से गुजर रही एच.टी लाईन की क्षमता व स्थिति बाबत् टिप्पणी प्राप्त की जावें। 2. मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय व औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने के कारण आवासीय क्षेत्र को अंकन करते हुए तथा आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय भू-उपयोग के परिप्रेक्ष्य में 40 फीट सडक का प्रावधान करते हुए क्षेत्रफल विश्लेषण कर निर्माण योग्य क्षेत्रफल की गणना की जावें। 3. प्रकरण में विद्यमान मुख्य सडक से रिकॉर्डेड/समर्पित रास्ते के संबंध में जोन उपायुक्त से रिपोर्ट प्राप्त की जावें। <p>उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को पुनः बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p> | | | | |

एजेण्डा संख्या 26 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|---------------|-------------|------------------------------------|----------------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | जोधपुर-दक्षिण | 920/747 | 00.15.00 बीघा में से 943.75 वर्गगज | वाणिज्यिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री गोमाराम चौधरी | | | | |

| | |
|----------|--|
| विषय:- | राजरव ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 920/747 रकबा 00.15.00 बीघा में से 943.75 वर्गगज में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा दिनांक 11.09.2008 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1998 की धारा 90/बी के तहत पारित निर्णय में "वरिष्ठ नगर नियोजक के जवाब क्रमांक जे.डी.जेड/संलग्न/पत्रावली दिनांक 12.08.2008 द्वारा उक्त कृषि भूमि का मास्टर प्लान में उपयोग आवासीय बताया गया तथा समपरिवर्तन के लिए अपनी सहमति प्रदान की। ले-आउट प्लान क्रमेटी निर्णय क्रमांक 227 दिनांक 30.08.2008 से उपरोक्त आराजी के उपरोक्त नियमन की स्वीकृति दी जाकर ले-आउट प्लान अनुमोदित किया गया/प्रस्तुत भूमि का ले-आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदित है जिसकी प्रति संलग्न है" का उल्लेख है। उपरोक्तानुसार ले-आउट प्लान अनुमोदित होने तथा पूर्व का कमिटमेंट होने के कारण प्रकरण में जोन उपायुक्त द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार पट्टा विलेख जारी किया जाना अपेक्षित है। तदानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। |


एजेण्डा संख्या 27 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|-----------------|-------------|------|--------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | कुडी व सांगरिया | - | - | आवासीय योजना |
| आवेदक | प्राधिकरण की विवेक विहार योजना | | | | |
| विषय:- | प्राधिकरण की अनुमोदित विवेक विहार योजना के सेक्टर ए, बी व जी, एच में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखण्ड में प्लानिंग के संबंध में। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा आयोजना शाखा द्वारा तैयार किये गये 8 ब्लॉक के ले-आउट प्लान की उपायुक्त स्तर पर मौका स्थिति अनुसार व लॉटरी/आवटन की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 28 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|-----------------|-------------|------|--------------|
| 21.07.2022 | दक्षिण | कुडी व सांगरिया | - | - | आवासीय योजना |
| आवेदक | प्राधिकरण की विवेक विहार योजना | | | | |
| विषय:- | प्राधिकरण की अनुमोदित विवेक विहार योजना के बाईपास पर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में योजना अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा आयोजना शाखा द्वारा तैयार किये गये ले-आउट प्लान की उपायुक्त स्तर पर मौका स्थिति अनुसार जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 3483-3487 दिनांक:- 04/08/22

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 06/2022 वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री अवधेश मीणा, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमति चंचल वर्मा उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री अनिल पूनिया उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 7. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर